

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रावस्ती।

पत्रांक 1189/जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/2023-24 दिनांक: 14 मार्च, 2024

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 19/2023/3975/58-1-2022-2/1 (22) 10 टी0सी0 दिनांक 21 मार्च 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद श्रावस्ती के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रियों के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों पर वार्डवार/परियोजनावार विवरण निम्नवत है:-

क0स0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का विवरण
1	गिलौला	ग्रामीण	43
2	इकौना	ग्रामीण	44
3	जमुनहा	ग्रामीण	53
4	सिरसिया	ग्रामीण	52
5	हरिहरपुररानी	ग्रामीण	63
6	शहर	शहरी	11
कुल योग			266

उपरोक्त पदों का ग्रामवार/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है साथ ही विभागीय वेबसाइट वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश-

- 1- विज्ञप्ति पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- 2- रिक्त पदों (आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट एवं उसके समकक्ष होंगी।
- 3- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का स्थाई निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
- 4- आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ डेट (01 जनवरी 2024) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 5- विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समायावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे। दिनांक 15 मार्च 2024 से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं।
- 6- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 04.04.2024 मध्य रात्रि 12: बजे तक होगी।


प्रमाण



वरीयता :-

- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासिनी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अन्य महिला।
- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलाएँ।
- उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

आरक्षण :-


- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।

नोट :-

- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाणपत्र एवं परिवार पंजिका की नकल ही मान्य होंगे।
- तलाकशुदा/परित्यागता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से 06 माह पूर्व का मान्य नहीं) ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।
- निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय


(प्रभात कुमार दास)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
श्रावस्ती।